कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र
06 सप्रू मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

पत्र संख्याः 2954 **ल0क्षे0/क्षे0प्र0/ठेका/नीलामी विज्ञप्ति/2018** **दिनांक** 12 **–04–2018**

ई–निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र के अन्तर्गत बस स्टेशन, चारबाग में रिक्त/बन्द चल रहे वेज स्टाल जो कि पूर्व में रू0 170000/– प्रतिमाह पर संचालित था, जिसे नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत जलपान गृह– 01 के नाम से चारबाग बस स्टेशन पर ए0सी0 बसों के प्लेटफार्म के पीछे साइड पर संचालित कराये जाने हेतु ई–टेण्डर कराया जाना प्रस्तावित है, जिसे ई–टेण्डरिंग के माध्यम से संचालित कराये जाने हेतु आनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

जलपान गृह –01 ब्राण्डेड कम्पनी/फर्म (फ्रन्चाईजीस) के माध्यम से संचालित कराये जाने हेतु ई–टेण्डर के माध्यम से www.e-tender.up.nic.in पर दिनांक 13.04.2018 समय 14.00 बजे से दिनांक 24.04.2018 समय 18.00 बजे तक अपलोड की जायेगी। दिनांक 25.04.2018 दिन बुधवार को समय 15.00 बजे ई–निविदा खोले जाने की कार्यवाही की जायेगी। इस हेतु निविदा के साथ एक माह हेतु प्रस्तावित राशि के आधार पर तीन माह के समतुल्य अर्थात् एक वर्ष की सम्पूर्ण धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट धरोहर धनराशि के रूप में निविदा के साथ जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ के पक्ष में बनवाकर निविदा में अपलोड करना होगा तथा निविदा स्वीकृत होने पर निविदा की हार्ड कापी के साथ समस्त अभिलेखों सहित क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, लखनऊ में उपस्थित होकर प्राप्त कराना अनिवार्य होगा। निविदा फार्म मूल्य रूपया 200.00 (रू0 दो सौ मात्र) + जी0एस0टी0 36.00 कुल धनराशि रू0 236.00 जिसकी वापसी नहीं होगी का डी0डी0 rmupsrtc lucknow के पक्ष में देय होगा।

निविदा की आवश्यक योग्यतायें/शर्तें

1– जिन स्टाल संचालकों के नाम क़ाली सूची में (परिवहन निगम की) है, वे निविदा डालने के लिये अर्ह नहीं होंगे और उनके निविदा पर विचार नहीं होगा।

2– निविदादाता को अपना नाम, पिता का नाम, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जी0एस0टी0 नम्बर के पंजीयन का प्रमाण पत्र व निवास स्थान का चाल–चलन का सत्यापन पुलिस अधिकारी का 06 माह से कम अवधि का तथा अपनी फोटो (पासपोर्ट साइज) की स्वयं प्रमाणित कर निविदा पत्र की हार्ड कापी के साथ लाना अनिवार्य होगा।

3– समस्त प्रकार के ठेकों एवं स्टालों के आवंटन निविदा प्रक्रिया ई–टेण्डर के माध्यम से लखनऊ क्षेत्र के विभिन्न बस स्टेशनों पर रिक्त/खाली चल रहे विभिन्न प्रकार के स्टालों हेतु निविदा पर क्षेत्रीय समिति के माध्यम से विचार किया जायेगा। टोकन मनी जमा कर खुली बोली बोलने का प्राविधान समाप्त कर दिया गया है।

4– जिस स्टाल व स्थान के लिये निविदा किया जा रहा है उक्त स्टाल का नाम व स्थान का नाम निविदा फार्म पर स्पष्ट रूप से समस्त सूचनाओं सहित अपलोड करना अनिवार्य है।

5– ई–टेण्डर पर अपलोड करने का दिनांक 13.04.2018 से 24.04.2018 समय 18:00 बजे तक e-tender.up.nic.in की बेवसाइड से किया जा सकता है।

6– परिवहन निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर ही स्टाल संचालित करना होगा, यदि किन्ही कारणों से सक्षम अधिकारी द्वारा स्टाल के संचालन का स्थान परिवर्तित किया जाता है तो परिवर्तित स्थान पर ही स्टाल संचालित करना होगा।

7– स्टाल की नीलामी का निस्तारण निविदा में प्राप्त उच्चतम दरों के अनुसार किया जायेगा। क्षेत्रीय समिति द्वारा दिनांक 13.04.2018 से 24.04.2018 तक ई–टेण्डर अपलोड कराये जाने पर प्राप्त ई–निविदा पर दिनांक 25.04.2018 को समय 15.00 बजे प्राप्त निविदायें/ई–टेण्डर खोलकर विचार करते हुये निविदा में उच्च निविदादाता को ठेका दिये जाने पर क्षेत्रीय समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

8– प्री–बिड मीटिंग हेतु तिथि 20.04.2018 दिन शुक्रवार को समय 15.00 बजे से 16.00 बजे तक समस्त निविदादाता/प्रस्तावक अनिवार्य रूप से आमन्त्रित है, जिसमें किसी विषय पर निविदादाता को कोई जानकारी की आवश्यकता हो तो प्री–बिड मीटिंग में चर्चा किये जाने हेतु प्रतिभाग कर सकते हैं।

9– परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ के परिपत्र संख्याः 1201एवं 1202 एमए/12–177एफए/01 दिनांक 11.05.2012 में दिये गये निर्देशानुपालन में पी0पी0पी0 योजना के अन्तर्गत तीन वर्ष के लिये स्टॉल उठाया जायेगा तथा स्टाल नियमावली 2009 में अंकित प्राविधानों के अनुसार निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिमाह अंकित किराये पर प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी निविदादाता को स्वयं करनी होगी, का निविदादाता को पालन करना होगा।

10– प्रतिमाह निविदा पत्र में अंकित धनराशि पर 18 प्रतिशत सेवाकर/जी0एस0टी0 के साथ प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व मासिक किराया अग्रिम रूप से जमा करना होगा।

11– निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को नियमानुसार आगणित धनराशि के अनुसार 04 प्रतिशत स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।

12– जलपानगृह/कैण्टीन संचालक को अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने पर प्राथमिकता दी जायेगी।

13– अनुबन्ध होने के 03 माह के भीतर फूड सेफ्टी लाइसेंस का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

14– जनपान गृह– 01 का ठेका होने पर ठेका संचालक द्वारा लगाये गये कर्मचारियों का ई0पी0एफ0/ई0एम0आई0 आदि की कटौती सम्बन्धित एक्ट के अधीन किये जाने का दायित्व ठेका संचालक का होगा। ठेका संचालक द्वारा लगाये गये कर्मचारी परिवहन निगम के नहीं माने जायेंगे तथा किसी भी नाबालिग/अवयस्क को स्टालों पर कार्य में नही लगाये जाने का लिखित आश्वासन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

15– निविदा फार्म मूल्य रू0 200.00 + जी0एस0टी0 जिसकी वापसी नहीं होगी का डी0डी0 जो rm upsrtc lucknow के पक्ष में देय होगा तथा हार्ड कापी के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा शुल्क का ड्रफ्ट हार्ड कापी के साथ संलग्न न करने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

16– निविदा के साथ एक माह हेतु प्रस्तावित राशि के आधार पर तीन माह के समतुल्य अर्थात एक वर्ष की सम्पूर्ण धनराशि का 25 प्रतिशत (03 तीन माह की) धनराशि का बैंक ड्रफ्ट धरोहर धनराशि के रूप में निविदा के साथ जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ के नाम बनवाकर निविदा में अपलोड करना होगा तथा निविदा स्वीकृत होने पर निविदा की हार्ड कापी के साथ समस्त अभिलेखों सहित क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, लखनऊ में उपस्थित होकर प्राप्त कराना अनिवार्य होगा।

17– निविदा प्रपत्र के साथ स्टाल एवं दुकानों के आवंटन हेतु जनपदीय मुख्यालय के बस स्टेशनों हेतु प्रत्येक स्टाल के लिये रू0 10,000/– तथा इससे भिन्न स्टेशनों हेतु रू0 2000/– अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट निविदा पत्र पर अपलोड करना होगा। निविदा स्वीकृत होने पर परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ के परिपत्र संख्याः 1118रोपी/15–177एफए/01कानपुर–11 दिनांक 05.11.2015 के अनुपालन में रू0 10,000/– व 2000/– का ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।

18– प्रत्येक स्टाल के लिये पृथक–पृथक निविदा ई–टेण्डर के माध्यम से अपलोड करनी होगी।

19– समिति द्वारा स्वीकृत स्टाल हेतु स्टाल की उपलब्धता एवं अपयुक्तता का निर्णय सक्षम समिति का ही मान्य होगा।

20– समय–समय पर उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय एवं क्षेत्रीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय मान्य होंगे।

21– उ0प्र0 परिवहन निगम के बस स्टेशनों पर संचालित विभिन्न स्टालों सम्बन्धी नियमावली–2009 एवं निगम मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्याः 1543एफए/02–177एफए/01–मेरठ दिनांक 25 जुलाई, 2002 के अनुसार ही स्टालों का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।

22– स्वच्छता के दृष्टिगत मॅूगफली के दानों को छोड़कर मूंगफली की बिक्री प्रतिबन्धित रहेगी।

23– वर्तमान में बस स्टेशन चारबाग में नानवेज स्टाल संचालित है। अतः पूर्व नीलामी विज्ञप्ति दिनांक 19.03.2015 के अनुसार संचालित नानवेज स्टाल के एग रोल, आमलेट, रोस्टेड चिकन, चिकन टिक्का, मटन टिक्का एवं नानवेज बर्गर इत्यादि नानवेज का विक्रय जलपान गृह– 01 नहीं कराया जायेगा।

24– आलमबाग बस स्टेशन का नवनिर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर बस स्टेशन चारबाग का कुछ संचालन आलमबाग बस स्टेशन शिफ्ट होने के दृष्टिगत जलपान गृह– 01 स्टाल की समय अवधि एक वर्ष निर्धारित की गयी है तथा इस विज्ञप्ति में चारबाग बस स्टेशन से सम्बन्धित स्टालों का संचालन केवल चारबाग बस स्टेशन हेतु ही मान्य होगा।

25– इच्छुक निविदाकर्ता 02 लिफाफे में अपनी बिड प्रस्तुत करेंगे। प्रथम तकनीकी व द्वितीय फाइनेन्सियल लिफाफ में से पहले लिफाफे में सभी आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र/दस्तावेजों इत्यादि की प्रतियां रखे। सभी अभिलेख एवं उपरोक्त शर्ते पूर्ण हाने पर ही द्वितीय लिफाफा (फाइनेन्सियल) खोला जायेगा अन्यथा शर्ते पूरी न करने वाले निविदाकर्ताओं की फाइनेन्सियल बिड के लिफाफे को अस्वीकार करते हुये वापस कर दिया जायेगा।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि नीलामी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करेः–

1– वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2– प्रधान प्रबन्धक(विविध/पीआईडीएम/विपणन), उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3– सहायक प्रबन्धक(एम0आई0एस0), वैब मास्टर, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4– जन सम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5– समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम।
6– सेवा प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।
7– समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र को इस आशय से कि सम्बन्धित निविदा स्टेशनों एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये।
8– सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।
9– कोषाध्यक्ष, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।
11–नोटिस बोर्ड, क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
लखनऊ।